Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00158

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 23/2018

1. विक्रमनाथ चेला बाबा शुभनाथ जाति नाथ साकिन–2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. धर्मनाथ चेला शुभनाथ जाति नाथ साकिन 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच ग्रांम पंचायत 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. रविन्द्रनाथ पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ जाति नाथ निवासी 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. दिनेश कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी 2 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री विरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री दिनेश छाबडा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता
3. श्री सुखराज चारण अधिवक्ता ग्राम पंचायत 2 एम.एल.

:: आदेश :: **दिनांक :– 01.08.2019**

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के गुरूजी शुभनाथ चेला स्व0 बाबा रधुवीर नाथ निवासी 2 एम.एल. नाथावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर में निवास करते थे जिनका देहान्त 24.02.2018 को हो गया। श्री शुभनाथ चेला बाबा रधुवीर नाथ के नाम से कृषि भूमि वाके चक 2 एम.एल. कुल आराजी 11.638 हैक्टर व अन्य सम्पतियां व अधिकार थे इसके अलावा शुभनाथ के नाम से भिन्न–भिन्न बैंकों में राशि जमा थी इसलिए आवेदक द्वारा कृषि भूमि व बैंकों में जमा राशि के सम्बन्ध में व अन्य सम्पतियों के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किये है जो विचाराधीन है। आवेदक ने दो प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत 2 एम.एल. के यहां दिनांक 09.03.2018 को तथा दो प्रार्थन–पत्र पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 13.03.2018 को प्रस्तुत किये गये और उसके साथ सलंग्न दस्तावेज राशन कार्ड, व अन्य पहचान पत्र प्रस्तुत किये और अनावेदक संख्या 2 से निवेदन किया कि मृतक शुभनाथ के नाम से कृषि भूमि व अन्य सम्पतयों, बैंक जमाओं व अन्य जमा राशियों के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है और आवेदक मृतक शुभनाथ का चेला है और मृतक शुभनाथ द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि व अन्य सम्पतियों व बैंकों अन्य संस्थानों में जमा राशि का अधिकारी है व किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वारिसनामा तब जारी न किया जावे जब तक सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत वादों का निस्तारण नहीं हो जाता तथा प्रार्थी आवेदक की अनदेखी करके निर्णय न लिया जावें। इसके बाद आवेदक द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय से अनावेदक संख्या 1 के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी करवाई गई जिसकी सूचना अनावेदक संख्या 2 को भी पंजीकृत डाक से दी गई। इसके बावजूद भी अनावेदक संख्या 1 ने दिनांक 16.03.2018 को अनावेदक संख्या 3 रविन्द्र नाथ का शपथ पत्र व दिनेश कुमार अनावेदक संख्या 4 के शपथ पत्र दिनांक 16.03.2018 के साथ प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र स्वयं के अलावा कोई चेला/वारिस नहीं बताते हुए अनावेदक संख्या 2 के यहां प्रस्तुत किया जिस पर अनावेदक संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.04.2018 को विवादित उत्तराधिकारी/वारिस प्रमाण पत्र अनावेदक सख्या 1 के हक में जारी कर दिया। इसी कम में ग्राम पंचायत द्वारा बिना ग्रांम पंचायत की मिटिंग किये तथा बिना पूरे कौरम के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पूर्व में 19.04.2018 को जारी उत्तराधिकारी /वारिसनामा प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए एक मात्र अनावेदक संख्या 1 को शुभनाथ के उत्तराधिकारी/वारिस का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसलिए अनावेदक संख्या 2 ग्राम पंचायत 2 एमएल द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र दिनांक 19.04.2018 को केवल मात्र अपने अधिकारों का दुरूप्रयोग करते हुए वारिसनामा जारी किया और उक्त वारिसनामा के आधार पर दिनांक 20.04.2018 को इन्तकाल स्वीकृति का प्रस्ताव पारित किया। दोनो ही वारिसनामा तथा प्रस्ताव पारित करने का विधि विरूद्व निर्णय किया गया है। ग्रांम पंचायत द्वारा कोई मिटिंग नही बुलाई ना ही पूरा कौरम पंचों का बुलाया इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आर. आर.डी. 1984 में पेज नम्बर 174 में निम्न स्पष्ट किया है कि सरपंच या उप सरपंच को स्वयं किसी प्रकार का इन्तकाल या अन्य कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है जो निर्णय निम्न हैः–

> Mutation-Attested by Upsarpanch-Held.power of Attesting mutation.delegated to G.P.having jurisdiction-G.P. does not mean a Sarpanch or Upsarpanch or any panch but a validly called meeting of G.P. having quoram-To hold othervise would that each and every panch, Upsarpanch of G.P. can at his own, without calling meeting and without quoram can attest any mutation any time anywhere Mutation cancelled.

आवेदक द्वारा ग्रांम पंचायत अनावेदक संख्या 2 को आपत्तियां प्रस्तुत की हुई थी उन आपत्तियों के सम्बन्ध में आवेदक को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही उन आपत्तियों का निस्तारण किया गया, ना ही उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत वाद के विधि सम्मत् निस्तारण पर ध्यान दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है। इस प्रकार ग्राम पंचायत 2 एमएल द्वारा जारी किया गया वारिसनामा/ उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र 19.04.2018 को जारी किया गया वह केवल मात्र सरपंच द्वारा जारी किया गया जबकि सरपंच अकेले को इस प्रकार का प्रमाण– पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। आवेदक के खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव व वारिसनामा ग्रांम पंचायत 2 एमएल द्वारा स्वीकृत किया गया है उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच करने पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 निम्न प्रकार से हैः–

> **राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शाक्ति–(1) राज्य सरकार स्वप्ररेणा से या किसी भी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में , किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उसमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने , उसकी वैधाकिता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी, यदि किसी भी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।**

आवेदक के मौलिक अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन हुआ है जबकि ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट था कि शुभनाथ का आवेदक चेला है लेकिन अनावेदक संख्या 3 व 4 द्वारा उस सम्बन्ध में झूठा शपथ पत्र दिया गया और शपथ पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उसका कोई और चेला है या नहीं केवल व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर शपथ–पत्र दिया गया इसलिए यह शपथ पत्र भी कानून की मान्यता नहीं रखते थे इस शपथ–पत्र को मानने में ग्राम पंचायत 2 एमएल ने कानूनी भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें अनावेदक संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.04.2018 को जो वारिसनामा जारी किया गया है वह निरस्त किया जावे तथा उसके आधार पर जो प्रस्ताव दिनांक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

20.04.2018 को पारित किया गया उसको भी अपास्त किया जावे तथा अन्य उचित आदेश या अनुतोष जो माननीय न्यायालय न्यायहित में उचित समझे वह भी आवेदक के पक्ष में व अनावेदकगण के विरूद्व आनुषंगिक अनुतोष के साथ प्रदान किया जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आवेदक के गुरूजी शुभनाथ चेला स्व0 बाबा रधुवीर नाथ निवासी 2 एम.एल. नाथावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर में निवास करते थे जिनका देहान्त 24.02.2018 को हो गया। श्री शुभनाथ चेला बाबा रधुवीर नाथ के नाम से कृषि भूमि वाके चक 2 एम.एल. कुल आराजी 11.638 हैक्टर व अन्य सम्पतियां व अधिकार थे । मेरे द्वारा कृषि भूमि व बैंकों में जमा राशि के सम्बन्ध में व अन्य सम्पतियों के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किये है जो विचाराधीन है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने दिनांक 16.03.2018 को गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 रविन्द्र नाथ का शपथ पत्र व दिनेश कुमार गैरनिगरानीकर्ता 4 के शपथ पत्र दिनांक 16.03.2018 के साथ प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र स्वयं के अलावा कोई चेला/वारिस नहीं बताते हुए गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के यहां प्रस्तुत किया जिस पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.04.2018 को विवादित उत्तराधिकारी/वारिस प्रमाण पत्र गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के हक में जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा बिना ग्रांम पंचायत की मिटिंग किये तथा बिना पूरे कौरम दिनांक 19.04.2018 को जारी उत्तराधिकारी /वारिसनामा प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए एक मात्र गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 को शुभनाथ के उत्तराधिकारी/वारिस का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। ग्राम पंचायत 2 एमएल द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र दिनांक 19.04.2018 को केवल मात्र अपने अधिकारों का दुरूप्रयोग करते हुए वारिसनामा जारी किया और उक्त वारिसनामा के आधार पर दिनांक 20.04.2018 को इन्तकाल स्वीकृति का प्रस्ताव पारित किया। दोनो ही वारिसनामा तथा प्रस्ताव पारित करने का जो निर्णय किया गया वह विधि विरूद्व है। ग्रांम पंचायत द्वारा कोई मिटिंग नही बुलाई ना ही पूरा कौरम पंचों का बुलाया। मेरे द्वारा ग्रांम पंचायत गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 को आपत्तियां प्रस्तुत की हुई थी उन आपत्तियों के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही उन आपत्तियों का निस्तारण किया गया, ना ही उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत वाद के विधि सम्मत् निस्तारण पर ध्यान दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है। इस प्रकार ग्राम पंचायत 2 एमएल द्वारा जारी किया गया वारिसनामा/ उत्तराधिकारी प्रमाण--पत्र 19.04.2018 को जारी किया गया वह केवल मात्र सरपंच द्वारा जारी किया गया जबकि सरपंच अकेले को इस प्रकार का प्रमाण– पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। मेरे मौलिक अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन हुआ है। ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट था कि शुभनाथ का आवेदक चेला है लेकिन गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 व 4 द्वारा इस सम्बन्ध में झूठा शपथ पत्र दिया गया और शपथ पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उसका कोई और चेला है या नहीं केवल व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर शपथ–पत्र दिया गया इसलिए यह शपथ पत्र भी कानून की मान्यता नहीं रखता। शपथ–पत्र को मानने में ग्राम पंचायत 2 एमएल ने कानूनी भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.04.2018 को जो वारिसनामा जारी किया गया है वह निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि जिस आदेश के खिलाफ निगरानी प्रस्तुत की है कानूनन उस आदेश के खिलाफ निगरानी नहीं होती है अर्थात मौजूदा निगरानी विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत की गयी होने के कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की नहीं होने के कारण इसी अहम कानूनी बिन्दु पर निरस्त फरमाई जाने योग्य है। क्षेत्राधिकार एवं संधारण होने का प्रश्न अहम है जिस पर सर्वप्रथम सुना जाकर कानूनी आपत्ति का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। निगरानी विधिक बिन्दू पर संधारित होती है जबकि हस्तगत निगरानी में कोई

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

विधिक बिन्दू निहित नहीं है। लिहाजा निगरानी संधारण योग्य नहीं होने के फलस्वरूप इसी स्तर पर निरस्त फरमायी जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि शुभनाथ चेला बाबा रधुवीर नाथ निवासी 2 एमएल नाथावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर में निवास करते थे जिनका देहान्त 24.02.2018 को हो गया था। निगरानीकर्ता का यह कथन कि दिनांक 09.03.2018 को दो प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत 2 एमएल को दिये गये कथन झूठा है। निगरानीकर्ता द्वारा दो प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक से दिनांक 13.03.2018 व 14.03.2018 को प्रेषित करवाये गये थे जिसमें प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई दस्तावेजात साक्ष्य के रूप में सलंग्न नहीं थे। शुभनाथ की मृत्यु पश्चात जायज वारिसान के वारिस प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2018 के संदर्भ में विचार करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा विहित प्रकिया अपनाते हुए ग्राम पंचायत की साधारण बैठक दिनांक 05.04.2018 में उपस्थित पंचायत सदस्यों द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रस्ताव लिया गया एवं सर्वसम्मति से अनुमोदन होने पर वारिसनामा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई हितबद्व व्यक्ति जो कि महन्त बाबा शुभनाथ जी की चल व अचल सम्पति में हित रखता हो , की आपत्ति एवं आक्षेप के सम्बन्ध में समाचार पत्र सीमा सन्देश, श्रीगंगानगर के दिनांक 06.04.2018 के अंक में प्रकाशित किया । आपत्ति एवं आक्षेप के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र ग्राम पंचात में निश्चित समय अवधि में पेश नहीं होने पर दिनांक 19.04.2018 को वारिसनामा जारी कर दिया गया एवं दिनांक 20.04.2018 की पंचायत बैठक में विहित प्रकिया अपनाते हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से निरस्त फरमाई जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में जो बिन्दु उत्तराधिकारी/वारिस प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत 2 एमएल द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये जारी किया गया के सम्बन्ध सुनने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। ग्रांम पंचायत को उत्तराधिकारी/वारिस प्रमाण पत्र बनाने का क्षैत्राधिकार नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा एसपीएल–1 दिनांक 19.04.2019 को जारी वारिस प्रमाण पत्र को विधिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता जबकि वारिस प्रमाण पत्र हेतु सिविल न्यायालय में भी वाद विचाराधीन हों ऐसे में जो बिन्दु सिविल न्यायालय द्वारा तय होना है उसमें ग्राम पंचायत 2 एमएल नाथावाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र विधिक दृष्टि से अधिकार क्षेत्र से परे है तथा कानूनी रूप से उसकी कोई मान्यता नहीं है। अतः 19.04.2019 को ग्राम पंचायत 2 एमएल नाथावाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं उसी ग्राम पंचायत द्वारा 20.04.2019 की बैठक में इसी विवादास्पद भूमि के नामान्तरकरण बाबत अपने द्वारा ही जारी 19.04.2019 के वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया प्रस्ताव भी विधि की दृष्टि से 'शून्य' होने से खारिज योग्य है क्योंकि विवादस्पद भूमिका नामान्तरकरण का अधिकार न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर को ही है। तदनुसार पेश निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत 2 एमएल नाथावाला (पंचायत समिति श्रीगंगानगर) द्वारा शुभनाथ के वारिस का प्रमाण पत्र दिनांक 19.04.2019 एवं इस वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर 20.04.2019 की बैठक में भूमि के नामान्तरकरण बाबत लिया गया प्रस्ताव अपास्त किये जाते है।

आदेश की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत 2 एमएल एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 01.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर
01/08/2019

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)